सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-972/JH/15/2023-APCR   Date : 08.10.2024

सेवा मे,

श्री चंदन कुमार सिन्हा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला - रांची,
एस एस पी कार्यालय,
रांची, झारखंड -834001
Email Id: ssp-ranchi@jhpolice.gov.in

विषय: गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की ज़मीन बेचने तथा पुलिस द्वारा उन्हें प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में - श्रीमती जेना उराँव, गाँव सरगाँव -, पुलिस थाना मंदार -, जिला रांची -, झारखण्ड का अभ्यावेदन

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.08.2024 को **राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची (झारखंड)** मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्टकी गई कार्रवाई / की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच.आर मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि:

श्रीमती जेना उराँव,
गाँव सरगाँव -, पुलिस थाना मंदार -,
जिला - रांची,
झारखण्ड -835214

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

(1) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(2) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं NCST/ATY-972/JH/15/2023-APCR

श्रीमती जेना उराँव, गाँव - सरगाँव, पुलिस थाना - मंदार, जिला - रांची, झारखण्ड की शिकायत के मामले में आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.08.2024 को राजकीय अतिथिशाला मोहरबादी, रांची झारखण्ड में हुई सुनवाई का कार्यवृत।

****

सुनवाई की तिथि :27.08.2024, 02:4 0P.M.

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी परिशिष्ट :सूची संलग्न है

****

इस मामले में श्री जेना उराँव, गाँव - सरगाँव, पुलिस थाना - मंदार, जिला - रांची, झारखण्ड से आयोग में दिनांक 30.12.2022 को शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होने बताया है की ग्राम - सरगाँव में रकबा संख्या-2 पौर संख्या 1282 कुल एकना 1.44 डी. मध्य एकना डिसमिल भूमि में आदि काल से जातरा, जितीया लगते आ रहा है कभी कोई विवाद नहीं हुआ पर एक दो वार्ष से कुछ राजपूत घराने ने उस जमीन को राम उराँव को बेचा दिया। वे उस जातरा स्थाल में पक्का घर बनाने लगा तब गाँव वाले एकीकृत हो कर अर्धनिर्माण घर को 01-12-2022 को ध्वस्त कर दिया तब राम उरांव ने थाना में आवेदन दे कर न्याय की गुहार लगाई थी जिसपे पुलिस प्रशासन स्थानीय आदिवासियों को परेशान कर रहे है उस स्थल में परम्परा से जीतया जातरा लागते आ रहा है इस लिए जातरा लगते रहे तकि हमारी आदिवासी संस्कृति बची रहे। अतः अभ्यावेदक ने आयोग से इस मामले में दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करवाने का आग्रह किया था।

आशालकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

2 आयोग द्वारा इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची को दिनांक 20/03/2023 को नोटिस भेजा गया था और 07 दिनों में रिपोर्ट मांगी गयी थी।

3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची की ओर से दिनांक 19.07.2024 को आयोग में जवाब प्राप्त हुआ था जोकि संतोषप्रद प्रतीत नही हुआ।

4 इस सम्बंध में आयोग द्वारा दिनांक 27.08.2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची के साथ राजकीय अतिथिशाला मोहरबादी, रांची झारखण्ड में सुनवाई तय की गयी।

5 प्रकरण की सुनवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची व शिकायतकर्ता उपस्थित हुए।

6 प्रकरण की सुनवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राँची ने प्रकरण से संबन्धित तथ्य प्रस्तुत किए। जिसमें उन्होने बताया कि इस मामले में दोनों ही पक्ष अनुसूचित जाति से संबन्धित है थाने में झगड़े की सूचना आने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा था तथा पाया की दो पक्षों में आपसी झगड़ा हो रहा है मौके पर पुलिस द्वारा स्थिति पर काबू किया गया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आयोग को बताया की अप्रार्थी पक्ष अपनी भूमि पर निर्माण कार्य कर रहा था जिसमे प्रार्थी पक्ष जेना ऊराऊ का कहना है की उस भूमि पर जथरा का धार्मिक आयोजन होता आया है अत उस भूमि पर कब्जा किया किया जा रहा है जिसका वो लोग विरोध कर रहे है।

7 प्रकरण में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुषंशाए की गयी-:

- इस मामले में पुलिस विभाग द्वारा एकबार पुन जांच किया जाए।
- जांच के दौरान इन तथ्यों की भी जांच करे की वहाँ जतरा का आयोजन कब से हो रहा है ताकि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत न पहुंचे।
- भविष्य मे विभाग द्वारा आयोग के नोटिस का जवाब समय पर दिया जाए।
- 30 दिवस में मामले की जांच कर आयोग को प्रेषित करे।

आशा लकड़ा
12/09/2024

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY-972/JH/15/2023-APCR

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri Shubhashis Rasik Soren
Legal Consultant

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Shri Vivekanand Shukla
Investigator

Officers from O/o the Sr. Superintendent of Police, Ranchi

Shri Chandan Kumar Sinha
Sr. Superintendent of Police,

Petitioners

Shri Etva Oraon

Shri Anil Ekka